संख्या–4970/70–6/2004–2(15)/2004

प्रेषक,

जगन्नाथ पाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ–दिनांक 16 फरवरी, 2005

विषय– नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम की स्थापना/संचालन हेतु क्लीयरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–8038/सम्बद्धता/07 दिनांक 24.12.2004 के संदर्भ में यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोपरांत प्रस्तावित संत ग्राम्यांचल महाविद्यालय, सुरहीं, बलिया को कला संकाय में स्नातक स्तर पर हिन्दी, संस्कृत, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र व अर्थशास्त्र विषयों में स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है–

(1) उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जायेगा एवं इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।

(2) उक्त पाठ्यक्रम श्री कुलाधिपति/श्री राज्यपाल की स्वीकृति मिल जाने और उसके पश्चात संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही प्रारंभ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारंभ नहीं की जायेगी।

(3) उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी, जब यह संस्था शासनादेश संख्या–3076/सत्तर–2–2002–2(186)/2002, दिनांक 27 सितम्बर,2002 एवं समय–समय पर जारी तत्संबंधी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।

(4) उक्त संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो शासन से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुयी वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार की होगी।